भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.No.S429/09-06-002/2025-2026 08 जुलाई, 2025

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के प्रधानाचार्य
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदया / महोदय,

NAMCABS - प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला (12 से 14 अगस्त, 2025)

भारतीय रिजर्व बैंक 2015 से एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए बैंकरों की क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय मिशन (NAMCABs) के तत्वावधान में बैंक अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मिशन का उद्देश्य एमएसएमई को ऋण देने के लिए क्षमता निर्माण करना और उद्यमियों के प्रति संवेदनशीलता और उद्यमियों के साथ उचित संवाद जैसे एमएसएमई ऋण के व्यवहारात्मक पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

उपरोक्त के संदर्भ में, सीएबी, पुणे, अपने परिसर में 12 से 14 अगस्त, 2025 के दौरान वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों और वाणिज्यिक बैंकों के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के प्रशिक्षकों के लिए '**प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला**' आयोजित कर रहा है।

3. कार्यक्रम के उद्देश्य: वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों और वाणिज्यिक बैंकों के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के प्रशिक्षकों को, NAMCABS कार्यशालाओं और एमएसएमई वित्तपोषण पर, कार्यक्रमों के दौरान कार्यात्मक और व्यवहारिक सत्रों को संभालने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, साधन और तकनीकों से लैस करना।

4. स्थान और आवास: कार्यक्रम आवासीय है। ठहरने और खाने की व्यवस्था सीएबी परिसर में की जाएगी। प्रतिभागी 11 अगस्त, 2025 की शाम को सीएबी में रिपोर्ट कर सकते हैं और कार्यक्रम 14 अगस्त, 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगा। कृपया ध्यान दें कि ओवरस्टे और अतिथि के साथ आने की अनुमति नहीं है।

5. पाठ्यक्रम सामग्री: कार्यक्रम की व्यापक पाठ्यक्रम सामग्री अनुबंध में दी गई है।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे – 411 016 (महाराष्ट्र) भारत
फोन : (91-020) 25538392 फैक्स : (91-020)25538959/25537089 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016 (Maharashtra) INDIA
Phone : (91-020) 25538392 Fax : (91-020) 25538959 E-mail : principalcab@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये

6. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए अपने बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों से प्रशिक्षकों को नामित करें। नामांकन **02 अगस्त 2025** को या उससे पहले nomination.ami@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं। **इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं है। कृपया ध्यान दें कि नामांकन first-come-first-serve (FCFS) के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि सीटें सीमित हैं।**

7. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए, आप नामांकन डेस्क (श्री प्रथमेश पाटील- टेलीफोन नंबर 020 2558 2396) से संपर्क कर सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से **nomination.ami@rbi.org.in** पर संपर्क कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां	
कार्यक्रम तिथियां	12 से 14 अगस्त, 2025
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	02 अगस्त 2025
CAB में रिपोर्टिंग	11 अगस्त 2025 शाम को
कार्यक्रम का समापन	14 अगस्त 2025 को शाम 05.00 बजे

सादर

(मुरली कृष्णा एम)
उप महाप्रबंधक
कार्यक्रम निदेशक
Contact: 020-25582318
Email ID- murleekrishna@rbi.org.in

Encl.: As above

अनुबंध

Broad Course Content

Module I : Overview, Policies & Guidelines

Importance of MSMEs in the Indian Context

- Business case for lending to MSMEs
- Need for Entrepreneurial Sensitivity
- Classification of MSMEs

Recent Guidelines of RBI on MSME Financing

- RBI Master Directions on lending to MSMEs
- RBI guidelines on Interest Rates to be charged from MSMEs
- Foreclosure charges.
- Importance of Fair Practices code in dealing with MSMEs
- Co-lending guidelines

Recent Initiatives of the Government of India for the MSME sector

Module II: Credit Scoring, Credit Enhancement & Monitoring

Use of Credit Scoring and Rating Models for financing of MSMEs - Role of CICs in MSME lending

Credit Guarantee Architecture for MSE finance

- Role of CGTMSE & NCGTC
- Issues and Challenges

Management of NPA and Recovery of MSME loans Relevant aspects of

- SARFAESI Act,
- Debt Recovery Tribunal & Lok Adalat
- One-Time Settlement Scheme
- Pre-Pack insolvency for MSMEs

Monitoring of Advances and Management of stress in MSME accounts

- Revival, Rehabilitation & Restructuring of MSME Loans
- Credit Monitoring of MSME advances

Module III:

Technological Interventions for MSME Financing

- Digital lending guidelines
- Account Aggregator
- Receivables Financing
- Role of FinTechs

Module IV: Behavioural perspectives on MSME lending

Role of Emotional Intelligence in dealing with MSE customers

Understanding Entrepreneurial Needs in MSME Financing – Effective Communication Strategies

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकरों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके। महाविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों और अनुसंधान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकैब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।